



॥ आउम् ॥

गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार –249404

(यू0जी0सी0 एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)

GURUKULA KANGRI (DEEMED TO BE UNIVERSITY), HARIDWAR - 249404

(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)

पत्रांक Estt-11/JR/2059

दिनांक : 11/07/2023

कार्यालय आदेश

आदेशानुसार गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षिकाओं एवं गैर शैक्षणिक पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि जिन शिक्षकों/शिक्षिकाओं एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की प्रौन्नति देय होती है। वे सभी शिक्षक/शिक्षिकाएँ एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) के रेगूलेशन-2018 के बिन्दु संख्या 6.3 (1) के अनुसार देय प्रौन्नति से तीन माह पहले भी अपना CAS प्रौन्नति सम्बन्धी आवेदन पत्र समविश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर उचित माध्यम से कुलसचिव कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

/
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. मा0 कुलपति जी
2. निदेशक, आई0क्यू0ए0सी0
3. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
4. कुलसचिव कार्यालय
5. विश्वविद्यालय वेबसाइट

/
कुलसचिव